भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 334

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 05 फरवरी, 2024, माघ 16, 1945 (शक) को दिया जाना है

माल और सेवा कर का मूल्यांकन

334. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार माल और सेवा कर के अंतरराज्यीय असमानताओं को कम करने के अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए इसके कार्य-निष्पादन का आकलन करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2013-17 और वर्ष 2017-21 की अवधि के मध्य किए गए औद्योगिक निवेशों की हिस्सेदारी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2013-17 और 2017-21 के बीच औद्योगिक निवेश में राज्यों के हिस्से के पैटर्न में कोई परिवर्तन आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसी अंतर-राज्यीय असमानताओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का उद्देश्य देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सुसंगत और सरल बनाना, करों के व्यापक प्रभाव को दूर करना और माल और सेवाओं के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार प्रदान करना है। नहीं, जीएसटी के परिणामस्वरुप, जीएसटी के तहत शामिल माल और सेवाओं पर अब समान कर-दरें हैं और इस संबंध में कोई विषमता नहीं है।

(ख) और (ग) तथा (घ): सरकार द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते है।

****